फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर

वादी : मदनलाल बनाम प्रतिवादी : भेरू

किस्म मुकदमा : वाद प्रकरण संख्या : 26/23

दिनांकः 06.06.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी ने उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 व 188, घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं पांति बंटवाड़ा का राजस्व ग्राम गोवर्द्धन विलास तहसील गिर्वा, उदयपुर में आराजी संख्या 213 रकबा 0.1650 हैक्टयर के सम्बन्ध में पेश किया गया है। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के वारिसान की तलबी हेतु काफी लम्बे समय से नियत है। वादी अधिवक्ता को कई अवसर दिए जा चुके है, बावजूद इसके वादी द्वारा सम्मन पेश नहीं किया गया है।

पिछली पेशी दिनांक को भी वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय द्वारा आज दिनांक को तीन–तीन बार रूक रूक कर आवाज लगाई लगाई। बावजूद इसके वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए ना ही न्यायालय समय के अन्त तक उपस्थित हुए। जिससे प्रतीत होता है कि वादी एवं वादी अधिवक्ता अपने प्रकरण के प्रति गंम्भीर नहीं है एवम् ना ही प्रकरण में प्रभावी पैरवी करना चाहते है। उक्त दावा पिछले 7 साल से लम्बित है। अतः वादी द्वारा हस्तगत पत्रावली में न्यायालय द्वारा बार–बार आवाज लागाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 8 के तहत् अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर फा.ट्रै.
गिर्वा, उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.06.21 18:19:59 IST
Reason: SelfAttested